Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 121-2016/Ext] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 4, 2016 (SRAVANA 13, 1938 SAKA)

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2016

संख्या एच०वी०एस०–एल०ए०–79/2016/73.— हरियाणा के राज्यपाल का दिनांक 4 अगस्त, 2016 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

" भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी, राज्यपाल, हरियाणा एतद् द्वारा हरियाणा विधान सभा को शुक्रवार, 19 अगस्त, 2016 को बाद दोपहर 2:00 बजे की बजाय शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 को बाद दोपहर 2:00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन, चण्डीगढ़ में अधिवेशन के लिये आहूत करता हूँ।

चण्डीगढ़:
दिनांक 4 अगस्त, 2016.

प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।"।

आर० के० नांदल,
सचिव।

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th August, 2016

No.HVS-LA-79/2016/73.— The following order by the Governor of Haryana Dated 4th August, 2016 is published for general information:-

" IN EXERCISE OF THE POWERS CONFERRED UPON ME BY CLAUSE (1) OF ARTICLE 174 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, I, PROF. KAPTAN SINGH SOLANKI, GOVERNOR OF HARYANA HEREBY SUMMON THE HARYANA VIDHAN SABHA, TO MEET IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA AT CHANDIGARH ON FRIDAY, THE 26TH AUGUST, 2016 AT 2:00 P.M. INSTEAD OF FRIDAY, THE 19TH AUGUST, 2016 AT 2:00 P.M.

Chandigarh:
The 4th August, 2016.

PROF. KAPTAN SINGH SOLANKI,
GOVERNOR OF HARYANA.".

R. K. NANDAL,
Secretary.

(सम संख्या और तिथि की जगह प्रतिस्थापित करने के लिए)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2016

संख्या 3/2/2016–1एच०(सी०).— चूंकि राज्य सरकार की राय है कि फरवरी, 2016 के मास के दौरान जाटों के लिए आरक्षण की मांग हेतू आन्दोलन का मामला, राज्य सरकार द्वारा मांग की स्वीकार्यता का आश्वासन देने के बावजूद हिंसक होते हुए, लोक महत्व का है;

और चूंकि राज्य सरकार की सुविचारित राय है कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित मामले की जांच करवाने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अधीन जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, दो सदस्यीय आयोग का गठन करते हैं जो निम्नलिखित संदर्भित शर्तों सहित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस० एन० झा, अध्यक्ष और श्री एन० सी० पाधी, आई० पी० एस० (सेवानिवृत्त), सदस्य से मिलकर बनेगा–

(1) आयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में जांच करेगा,–

(क) रोहतक,झज्जर, सोनीपत, जीन्द, हिसार, कैथल, भिवानी और पानीपत में 18 फरवरी से 23 फरवरी, 2016 के दौरान सड़कों, नहरों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों और वृक्षों का अवैध रूप से गिराने तथा मानव अधिकारों की उल्लंघना सहित जीवन की हानि, निजी तथा सार्वजनिक दोनों सम्पत्तियों की हानि का कारण बनने वाली घटनाओं का अनुक्रम और इसके सम्बन्ध में सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों, इसके कारण उत्पन्न होने वाली हिंसा;

(ख) समाज के सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली उत्पन्न हिंसा के पीछे विद्यमान साजिश, यदि कोई हों, की गहरी जड़ों; और

(ग) कोई ऐसा मामला, जो जांच के दौरान सुसंगत पाया जाए।

(2) किसी भी व्यक्ति या एसोसिएशन द्वारा आयोग के समक्ष की गई शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की जायेगी तथापि जनता के हित में जांच आयोग के स्वयं संज्ञान में आने वाले मामलों की जांच कर सकते हैं।

(3) आयोग, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के उपबन्धों के अध्याधीन जांच करने के लिए स्वयं की अपनी प्रक्रिया बनाएगा और विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) आयोग, अपनी प्रथम बैठक की तिथि से यथाशीघ्र सम्भव किन्तु न कि छह मास के पश्चात् राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोग का मुख्यालय गुड़गांव में होगा।

(6) चूंकि, हरियाणा सरकार की राय है कि की जाने वाली जांच तथा मामले की अन्य परिस्थितियों के स्वरूप के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 5 एवं 5 (क) की उपधारा (2),(3),(4) तथा (5) के सभी उपबन्ध आयोग को लागू होने चाहिएं;

इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60), की धारा 5 एवं 5 (क) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि उक्त धारा की उपधारा (2),(3),(4) तथा (5) एवं 5 (क) के उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 28 जुलाई, 2016.

(To be substituted bearing the same number and date)

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 4th August, 2016

No. 3/2/2016-1HC.— Whereas the State Government is of the opinion that the matter of the agitation for demand of reservations for Jats during February, 2016 having turned violent despite assurance of acceptance of the demand by the State Government, is of public importance;

And whereas the State Government is of the considered opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952 (Central Act, 1952) to inquire into this definite matter of public importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Act 60 of 1952), the Governor of Haryana hereby appoints a two-member Commission comprising Mr. Justice (retired) S.N. Jha as its Chairman and Mr. N.C. Padhi, IPS (retired) as a member of the Commission of Inquiry.

1. The Commission shall make an inquiry with respect to :-
   (a) the sequence of the events leading to, and all facts and circumstances relating to, the occurrence of violence leading to loss of lives, damage to properties, both private and public including roads, canals, Railway Stations, Police Stations and illegal felling of trees and the violation of Human Rights from 18th February to 23rd February, 2016 in Rohtak, Jhajjar, Sonepat, Jind, Hisar, Kaithal, Bhiwani and Panipat;
   (b) existence of a deep rooted conspiracy, if any, behind the occurrence of violence to damage the social fabric of the society;
   (c) and any such matter as may be found relevant in the course of the inquiry.

2. The inquiry shall be in regard to complaints made before the Commission by any individual or association, however, the Commission may make independent inquiry into any matter coming to its notice through a complaint or otherwise in public interest of justice.

3. The Commission shall devise and specify its own procedure for conduct of the inquiry subject to provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952.

4. The Commission shall submit its report to the State Government as soon as possible but not later than six months from the date of its first sitting.

5. The Headquarters of the Commission shall be at Gurgaon.

6. Further, the Governor of Haryana is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of Sub-sections (2), (3), (4) and (5) of Section 5 and Section 5A of the Commission of Inquiry Act, 1952 (Act 60 of 1952), should be made applicable to the Commission and the Governor of Haryana, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the said section, further directs that all the provisions of Sub- sections (2), (3), (4) and (5) of Section 5 and Section 5A shall apply to the Commission.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

Chandigarh:
The 28th July, 2016.

54528—C.S.—H.G.P.,Chd.